



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway



मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004
सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/रिक्रुटमेन्ट/२४/५९४१ दिनांक:-09.07.2018

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.-196/2018

विषय:-Age relaxation to the residents of the State of Jammu & Kashmir.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. E(NG)-II/2018/RR-1/11 दिनांक 20.06.2018, RBE No. 92/2018 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था:-

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक, आरबीई एवं दिनांक	स्थापना नियम संख्या
1.	Even no. dated 06.01.2016, RBE No. 1/16	10/2016

उपरोक्त नियम दफ्तरे की अधिकारिक वेब-साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> एवं CPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site-

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

Share Folder-

Home page—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त. (2 पृष्ठ)

प्रदीप मिश्रा
09/07/18

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (एच.आर.डी.)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

S.E.C.R
3973
03/07/18

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

20
E/R No-196/2018
P/1

RBE No. 92/2018

No. E (NG)-II/2018/RR-1/11

New Delhi, dt.: 20.06.2018.

The General Manager (P),
All Zonal Railways/Production Units,
Chairmen, RRBs/RRCs
(As per standard mailing list).

Sub: Age relaxation to the residents of the State of Jammu & Kashmir.

Kindly refer to this Ministry's letter of even number dated 06.01.2016 (RBE No. 1/2016) stipulating extension of the currency of relaxation of age limit of 5 years in favour of the residents of State of Jammu & Kashmir for appointment to Central Civil Services and posts, recruitment to which are made to UPSC/SSC or otherwise by the Central Government up to 31/12/2017. 10/16

2. Department of Personnel & Training have issued a further notifications No. 15012/1/2014-Estt(D) dated 09.02.2018 and accordingly age relaxation of 5 years in the upper age limit to all persons who had ordinarily been domiciled in the State of Jammu & Kashmir during the period from the 1st day of January, 1980 to the 31st day of December, 1989 for appointment to Central Civil Services and posts, recruitment to which are made through UPSC or SSC or otherwise by the Central Government, stands extended up to 31/12/2019.

3. Accordingly, the same is also extended beyond 31.12.2017 to 31.12.2019 for recruitment made by Railway Recruiting agencies.

4. Please acknowledge receipt.

CPO (IR)		
Dy. CPO (HQ.)	Dy. CPO (CON.)	Chairman (RRC)
SPO (RP)	SPO (GAZ.)	SPO (HRD)
SPO (HQ)	APO (Bills)	PS to CPO
PCPO		

(Ravi Shekher)
Jt. Director Estt. (N)-II
Railway Board.

Contd.../-

20/6/18
Ravi Shekher

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/ (RAILWAY BOARD)

E/R No-196/2018
P/2

आरबीई सं. 92 /2018

नई दिल्ली, दिनांक 20.06.2018

सं. ई(एनजी)-11/2018/आरआर-1/11

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
अध्यक्ष, आरआरबी/आरआरसी
(मानक डाक सूची के अनुसार).

विषय: जम्मू एवं कश्मीर राज्य के निवासियों को आयु में छूट प्रदान करना।

कृपया इस मंत्रालय के दिनांक 06.01.2016 (आरबीई सं. 1/2016) के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें, जिसमें केन्द्रीय सिविल सेवाओं तथा पदों, जिनकी भर्ती केन्द्र सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग अथवा अन्यथा के माध्यम से की जाती है, पर नियुक्ति के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य के निवासियों के पक्ष में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने की अवधि को 31/12/2017 तक बढ़ाने का उल्लेख किया गया है।

2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा इसके बाद दिनांक 09.02.2018 को अधिसूचना सं. 15012/1/2014-एस्ट(डी) जारी की गई है और तदनुसार, केन्द्रीय सिविल सेवाओं तथा पदों, जिनकी भर्ती केन्द्र सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग अथवा अन्यथा के माध्यम से की जाती है, पर नियुक्ति हेतु उन सभी व्यक्तियों, जो साधारणतया जम्मू एवं कश्मीर राज्य में 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान रह रहे थे, की ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट को 31/12/2019 तक बढ़ाया जाता है।

3. तदनुसार, रेलवे भर्ती एजेंसियों द्वारा की गई भर्ती के लिए भी इसे 31.12.2017 से आगे 31.12.2019 तक बढ़ाया जाता है।

4. कृपया पावती दें।


(रवि शंकर)

संयुक्त निदेशक स्थापना (एन)-11
रेलवे बोर्ड

.....2/-